राजस्थान सरकार,
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./SBM/20/ 5676-5069 दिनांक :– 3/12/20

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– राजस्थान नगर पालिका (अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन) उप–विधियाँ 2020 की पालना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 समय–समय पर यथा संशोधित के नियम 6 के उप–नियम (4) के प्रावधानानुसार उप–विधियाँ (Bye Laws) नगरीय निकायों को बनाये जाकर उनकी पालना की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप–धारा (4) सहपठित धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य की नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रो में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन को विनियमित करने के लिये राजस्थान नगर पालिका (अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन) उप–विधियाँ 2020 विभागीय पत्र क्रमांक प 8(ग) (अपशिष्ट प्लास्टिक)नियम/डीएलबी/19/39790 दिनांक 30.01.2020 द्वारा अधिसूचित की गई है।

अतः उक्तानुसार अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धक नियमों की पालना तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित Bye Laws की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– अधिसूचना की प्रति

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/20/ 5870-5883 दिनांक :– 3/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड।
5. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
6. उपनिदेशक क्षेत्रीय, समस्त।
7. प्रोग्रामर निदेशालय को भेजकर लेख है, कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(अपशिष्ट प्लास्टिक)नियम/डीएलबी/19/ 39796 जयपुर, दिनांक : 30/01/2020

अधिसूचना

यतः अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित, के नियम 6 के उप–नियम (4) में स्थानीय निकायों को उप–विधियां बनाये जाने का प्रावधान है;

औरयतः राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी राज्य की किसी भी नगर पालिका द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का केन्द्रीय अधिनियम स. 29) के अधीन बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित, के नियम 6 के उप–नियम (4),के प्रावधानानुसार उप–विधियां विरचित नहीं की गई हैं;

अतएव अब राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप–धारा (4)सपठित धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य के नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रों में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधनकार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, एतद्द्वारा निम्नलिखित उप–विधियांबनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ.–(1) ये उप–विधियां राजस्थान नगरपालिका (अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन)उप–विधियाँ, 2020 कहलायेगी।

(2) ये उप–विधियाँ राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2.लागू होना.–ये उप–विधियां राज्य के समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगी।

3. परिभाषाएँ.–(1) इन उप–विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो,–

(i) **"अधिनियम" (Act)**से प्रर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम स. 29) अभिप्रेत है;

(ii) **"अनुकल्पिक उपयोग"(Alternate Use)**से किसी सामग्री का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उसकी परिकल्पना की गई थी, ऐसा उपयोग अभिप्रेत है, जो इसलिए फायदाप्रद है, क्योंकि इससे संसाधन कार्य कुशलता में अभिवृद्धि होती है;

(iii) **"ब्रांड स्वामी"(Brand Holder)**ऐसे व्यक्ति या कंपनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है;

(iv) **"कैरी बैग"(Carry Bag)**से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;

(v) **"वस्तु"(Commodity)**से ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;

(vi) **"कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक"(Compostable Plastic)**से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन–डाई–ऑक्साइड, जल अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(vii) **"सहमति"(Consent)**सेजल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम ,1974 (1974 का केन्दीय अधिनियम संख्या 6) और वायु (प्रदूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम,1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(viii) **"विघटन"(Disintegration)**से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(ix) **'ऊर्जा की पुनः प्राप्ति'(Energy Recovering)**से अपशिष्ट से ऊर्जा की पुनः प्राप्ति अभिप्रेत है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनके अंतर्गत दहन, गैसीयकरण, उत्ताप विच्छेदन(पायरोलाइजेशन), निर्वात उपचारण(एनेरोबिक डाइजेशन) और खत्ते से गैस की पुनः प्राप्ति भी हैं, के माध्यम से अपशिष्ट माल का प्रयोग योग्य उष्मा, विद्युत या ईंधन में संपरिवर्तन किया जाना है;

(x) **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"(Extended Producer's Responsibility)** से इसके जीवन तकउत्पाद के पर्यावर्णीय रूप से सुदृढ़ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है;

(xi) **"खाद्य पदार्थ"(Food-Stuffs)**से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है;

(xii) **"सुविधा"(Facility)** से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पुनः चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;

(xiii) **"आयातकर्ता"(Importer)** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात–निर्यात करते का लाइसेंस है, जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो;

(xiv) **"संस्थागत अपशिष्ट जनित्र"(Institutional Waste Generators)** से केन्द्रिय सरकारी विभाग, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(xv) **"नगरीय निकाय"(Local Body)** से राजस्थान, नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रारम्भ के समय विद्यमान या उसके उपबंधो के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड अभिप्रेत है;

(xvi) **"विनिर्माता"(Manufacturer)** से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है;

(xvii) **"बहुस्तरीय पैकेजिंग"(Multi-layered packeging)** के लिए प्रयुक्त य प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रीयां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियों जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह–बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम स्तर रखती है;

(xviii) **"प्लास्टिक"(Plastic)** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पॉनीवाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पॉलीथाइलीन विनाइल कम घनत्व पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपीलीन, पॉलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रीलोनीट्रीइलीन बेटाडीन स्टाइरीन जैसी बहु सामग्री, पॉलीफिनाइलीन ऑक्साइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉली बूटीलीन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पॉलिमर के आवश्यक तत्व अन्तर्विष्ट हैं;

(xix) **"प्लास्टिक चद्दर"(Plastic Sheet)** से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी चद्दर;

(xx) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"(Plastic Waste)** से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है;

(xxi) **"विहित प्राधिकारी"(Prescribed Authority)**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अभिप्रेत है;

(xxii) **"उत्पादक"(Producer)** से कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट य जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है;

(xxiii) **"पुनः चक्रीकरण"(Recycling)** नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है;

(xxiv) **रजिस्ट्रीकरण(Registration)**से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(xxv) **"पथ विक्रेता"(Street Vendor)**का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम,2014(2014 का केन्दीय अधिनियम संख्या 7) की धार 2 की उप–धारा(1) के खण्ड (1) में है;

(xxvi) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"(Virgin Plastic)**से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;

(xxvii) **"अपशिष्ट जनित्र"(Waste Generators)**से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थान भारतीय रेल, विमानपत्तन और रक्षा कन्टूनमेंटजो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं, सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(xxviii) **"अपशिष्ट प्रबंध"(Waste Management)**से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भंडारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनः चक्रण, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(xxix) **"अपशिष्ट चुनने वाले"(Waste Pickers)** से पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या ऐजेन्सियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

(xxx) **"ठेकेदार" (Contractor)** से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है;

(xxxi) **"डिलिवरी"(Delivery)** से नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अपशिष्ट देना;

(xxxii) **"शुष्क अपशिष्ट" (Dry waste)** से जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा–करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत पुनर्चकणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चकणीय अपशिष्ट दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी है;

(xxxiii) **"जुर्माना"(Fine)**राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 258 के अधीन जुर्माना तथा पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 8(1)/पर्या/99/पार्ट.जयपुर दिनांक 21.07.2010 के अधीन की गई कार्यवाही में लगाऐ गए जुर्माना अभिप्रेत है;

(xxxiv) **"सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा(एमआरएफ)" (Material recovery facility)** से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को नगरीय निकाय या अन्य अस्तित्व के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए नगरीय निकाय द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले अनौपचारिक पुनर्चकणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारित सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण,छंटाई या पुनर्चक्रण योग्य की पुनःप्राप्ति की प्रसुविधा है;

(xxxv) **"पुनर्चकण" (Recycling)** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों को उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रकिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नही किया जा सकेगा;

(xxxvi) **"कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)"** **(Refuse Derived Fuel)** से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट,क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन ईंधन अभिप्रेत है;

(xxxvii) **"पृथककरण"** **(Segregation)**से ठोस अपशिष्ट के विभित्र संघटको अर्थात जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनः चक्रणयोग्य बाह्यायोग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिमार्ण और विध्वंस अपशिष्ट भी है की छंटाई ओर पृथक भंडारण अभिप्रेत है;

(xxxviii) **"छंटाई करना"** **(Sorting)** से मिश्रित अपशिष्ट पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटनों और प्रवर्गो जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है;

(xxxix) **"उपचार"**(**Treatment)** से किसी अपशिष्ट के भौतिक रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है; और

(xl) **"उपयोक्ता फीस"** **(User fee)** से ठोस अपशिष्ट संग्रहण परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या अंशिक लागत को प्राप्ति करने में अपशिष्ट जनित पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के नियम 2 में वर्णित किसी संस्था द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है।

(2)इन उप–विधियों में जिन शब्दों और पदों को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम 1986, जल (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (जल प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनयम 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधिततथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होगे जो संबंधित अधिनियमों व नियमों में है।

4. नगरीय निकायों का दायित्व.–प्रत्येक नगरीय निकायके निम्न दायित्व होगें:–

(i) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनःचक्रित किया जा सकता हो, को मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी/ट्रांसफर स्टेशन पर सॉलिड वेस्ट से पृथक कर रैग पिकर्स/स्वयं सहायता संगठन के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्टि पुनःचक्रक को पहुंचाया जाएगा;

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका पुनःचक्रीकरण नहीं किया जा सकता, को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र व दिशा–निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण में उपयोग करने यापुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) के रूप में औद्योगिक इकाइयों में प्रयोग हेतु दिया जाऐगा;

(iii) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा;

(iv) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण की सुविधाओं के अक्रिय (inert)का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016के प्रावधान एवं इनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के तहत किया जाएगा;

(v) स्वयं या किसी ऐजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित प्लास्टिक वेस्ट को मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी/ट्रांसफर स्टेशन पर सॉलिड वेस्ट से पृथक कर उसका भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(vi) सभी पणधारियों (Stakeholders) में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करेंगे;

(vii) अपशिष्ट चुनने वालो के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाया जाऐगा और यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए;

(viii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली निर्धारित करने के लिऐ उत्पादकों (Producers) की सहायता लेना;

(ix) नगरीय निकायों के क्षमता निर्माण (Capacity building) तथा स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंसकरण की व्यवस्था करना।

(x) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापारियों का पंजीकरण करना;

(xi) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 धारा 258 के अनुसार प्लास्टिक थैलियोंके विक्रय करने या उपयोग करने को प्रतिबन्धित या वर्जित करने की कार्यवाही की जावेगी तथा ऐसे प्रतिबंध के कियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पर होगा; और

(xii) प्रत्येक वर्ष की 30 जून तकसंबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित में विहित प्रारूप–V में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.–(1)राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016,समय–समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों को प्रवर्त करने के लिए प्राधिकारी होगा।

(2)राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक उत्पादनकर्ता(Producer) व ब्रांड स्वामी(Brand Owner) का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जावेगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता हैया प्रस्ताव करता है, का अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन(संशोधित) नियम, 2018 के अनुसार रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाऐगा।

6. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व.–(1) खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में, जो अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है,वस्तु नहीं बेचेगा ना ही उपलब्ध कराएगा।
(2)प्लास्टिक कैरी बैग बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधितके अनुसार विनिर्मित या लेबलिंग या चिन्हित नहीं है, में वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो नगरीय निकायों की उप–विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

7. अपशिष्ट प्लास्टिक का भण्डारण.–(1) राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने स्तर पर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक के भण्डारण सुविधाओं(एमआरएफ फेसेलिटी) की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो।
(2) शहर में स्थित सभी कॉपरेटिव सोसाईटीज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भलीभांति पृथक–पृथक भण्डारण हो सकें,जिसमें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीयनिकाय को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगें।

8.प्लास्टिक अपशिष्टों का परिवहन.–प्लास्टिक अपशिष्टों का परिवहन ठोस अपशिष्ट के परिवहन में लगे वाहनों (कवर्ड व्हीकल)से ही किया जायेगा।

9. नगरीय प्लास्टिक अपशिष्टों का रिसाइक्लिंग व रियूज.– नगरीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्रो में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्टोंको(एमआरएफ फेसेलिटी)/ट्रांसफर स्टेशन पर छटनी कर रिसाइक्लिंग हेतु दिया जावेगा। शेष प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करने तथा वेस्ट टू ऐनर्जी/आरडीएफ के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशानुसार औद्योगिक इकाइयों को दिया जावेगा।

10.नगरीय प्लास्टिक अपशिष्टों का व्ययन.–नगरीय निकाय द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से बचे इनर्ट काअपने लैण्डफील साईट पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 की अनुसूची Iके प्रावधानानुसारव्ययन किया जाऐगा।

11.औचक निरीक्षण.–नगरीय निकायद्वाराअधिकृत अधिकारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अपनाई जा रही कार्य प्रणाली का औचक निरीक्षण कर सकेंगा। अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधितके अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही करेगा।

12. अभियोजन/जुर्माना.–इन उप–विधियों के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 258 के अधीन जुर्माना तथा पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक प.8(1)/पर्या/

99/पार्ट.जयपुर दिनांक 21.07.2010 के अधीन अभियोजन/जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाऐगी।

13. **निरसन और व्यावृतिया.**–(1)जहां कियह उप–विधियां पूर्व में लागू उप–विधियां/परिपत्र/आदेश इन उप–विधियों में सम्मिलित किऐ गऐ प्रावधानो की सीमा तक निरसित हो जाऐगे:

परन्तु यह कि ऐसा निरसन,–

(i) निरसित उप–विधियां/परिपत्र/आदेश के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा;

(ii) निरसिल उप–विधियां/परिपत्र/आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेष अधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा;

(iii) निरसित उप–विधियां/परिपत्र/आदेश के विरूद्ध किऐ गऐ किसी अपराध की बाबत् उपगत् किसी शास्ति, समपह्रण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(iv) किसी यथा पूर्वक ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपह्रण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेक्षण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेक्षण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपह्रण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो ऐसा निरसन करने वालीउप–विधियां जारी ही नही की गई हो।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(अपशिष्ट प्लास्टिक)नियम/डीएलबी/19/ ~~दिनांकः~~ 39791-40258 दि. 30/0

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास,आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाऐं, राजस्थान।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान।
8. मुख्य नगर नियोजक,नगर नियोजन विभाग राजस्थान जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त(समस्त), राजस्थान।
10. सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान जयपुर।
11. जिला कलेक्टर(समस्त), राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक, आर यू आई डी पी ।
13. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको
14. निदेशक/अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना राज्य एवं जनहित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः इसे राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने का श्रम करावें साथ ही राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां भी विभाग को उपलब्ध करायी जावें।
15. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाऐं(समस्त), राजस्थान।
16. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
17. क्षेत्रीय उप निदेशक(समस्त), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
18. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी